seats both are to be filled on the basis of merit. The fee to be charged by professional colleges in each State will be as decided by a State Committee.

The Supreme Court has covered only the private, unaided professional colleges with a view to ensure abolition of capitation fee and admissions to be made on the basis of merit alone.

बिहार में ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा

3390. **श्री एस० एस० अहलुवालिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक अपनी बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं तथा विद्यालयों में उनका दाखिला नहीं करवाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इन बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने हेतु उनके अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए कौन-कौन से उपाय करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बिहार शिक्षा परियोजना वर्ष 1991–92 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना करना है। यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त इस परियोजना में बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। महिलाओं की शिक्षा तथा विकास पर विशेष बल दिया गया है ताकि वे शिक्षा में समानता की दिशा में आगे बढ़ सकें। कुल 360 करोड़ रु० के परिव्यय की परियोजना में 20 जिलों में फैले 150 ब्लॉकों को चरणबद्ध क्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नामक एक राज्य स्तरीय स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गई है। इसके अलावा बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों के परामर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना, 1992 तैयार की गई है जिसमें 2000 ईसवी सन् तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय करने तथा कार्य नीतियां तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

बिहार में बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाना

3391. **श्री एस० एस० अहलुवालिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में 5 से 10 वर्ष की आयु वाले उन बालकों तथा बालिकाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है, जिन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है; और

(घ) सरकार ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सभी को प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने की जिम्मदारी राज्य सरकार की है और वह जहां कोई जरुरी हो प्राइमरी स्कूलों अथवा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को खोलने के लिए वार्षिक जरुरतों का अनुमान लगाती है तथा राज्य योजनाओं में निधियों का प्रावधान करती है।

(घ) राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से एक कार्य योजना 1992 में तैयार की गई है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि 2000 ई० तक तथा 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूल प्रणाली में दाखिले में सुधार करने तथा उनको स्कूलों में रोके रखने के लिए निम्नलिखित कुछ उपायों को अपनाने की सिफारिश की है:——

—ग्राम स्तर पर सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा प्रबंध के प्रभावी विकेन्द्रीकरण की एक प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म आयोजना,

— स्कूल पूर्व घटकों तथा प्रारंभिक देख—रेख तथा बाल शिक्षा को सुदृढ़ बनाना,

— लक्षित वर्ग उन्मुख नीतियों को अपनाना तथा लड़कियों तथा अ०जा०/अ०ज०जा० के बच्चों के लिए पहुंच, सहभागिता तथा उपलब्धियों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करना,

— आपरेशन ब्लैक-बोर्ड की योजना के कार्य क्षेत्र में विस्तार करके प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार तथा सुधार करना,

— औपचारिक स्कूल प्रणाली से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन तथा सुधार करना,

— स्कूल शिक्षकों की सेवारत तथा सतत शिक्षा के लिए केन्द्रों का तंत्रकार्य उपलब्ध कराकर शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में सुधार तथा विस्तार करना।

जहां तक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का सम्बन्ध है, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा निधियों के उपयोग तथा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर उन्हें आठवीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

Difficulties of Children Having Bravery Award

3392. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Brave children Pay a price" which appeared in the Hindustan Times, New Delhi dated the 21st January, 1994 highlighting the difficulties being faced by the children awarded for their bravery in their education, medical treatment etc.;

(b) if so, what is the reaction of Government thereto; and

(c) what remedial action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVA RAJESWARI): (a) to (c) Yes, Sir. The Indian Council of Child Welfare (ICCW), New Delhi a voluntary organisation, who organizes the National Bravery Awards, has taken up the responsibility of providing necessary medical and educational support as well as financial assistance to these awardees.

Cultural Centre in Bihar

3393. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: